आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

सर्वे अपील वाद 05/2008
चरक मुण्डा, दुलाल मुण्डा व अन्य बनाम गौरी सिंह मुण्डा एवं अन्य ।

आदेश

06/01/2022

प्रश्नगत वाद में बंदोबस्ती अपील एन0 14/99 में पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। इस वाद में आर0एस0 खेवट नं0–12/1 से 12/5 खाता नं0–155, 167, 172 में अवस्थित भूमि के सर्वे इन्द्राज का विषय सन्निहित है।

आवेदक का कथन है कि खेवट नं0–12/1 से 12/5 धन सिंह मुण्डा, ननसाही मुण्डा, कुंजल मुण्डा, बहादुर मुण्डा, पण्डुआ मुण्डा, दल मुण्डा, विरू मुण्डा एवं मधु मुण्डाईन के नाम से सम्मिलित रूप से दर्ज है। आवेदक द्वारा एक वंशावली प्रस्तुत की गयी है तथा मुण्डा परम्परिक कानून के अनुसार प्रश्नगत् भूमि पर दावा किया गया है। बंदोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय में आयुक्त न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई हेतु वाद प्रति प्रेषित किया गया, जिसके पश्चात् विपक्षी के नाम से खाता खोलने हेतु आदेश पारित किया गया है।

आवेदकों का दावा है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थीयों को खेवटदार के वंशज के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है, जबकी आवेदक मूल खेवटदारों के वंशज है एवं भूमि के दखलकार है। जिस पार्टीसन सूट नं0–49/131/1974–75 के आधार पर निन्न न्यायालय में आदेश पारित किया है वह आवेदकों से संबंधित नहीं है। विपक्षीयों द्वारा दायर वंशावली गलत है। वादी एवं प्रतिवादी खेवटदार 12/4 के उत्तराधिकारी है निम्न न्यायालय द्वारा खेवट नं0–12/2 एवं 12/3 वारिस के नाम से ही खाता खोला गया है, जो उचित नहीं है। अतः खेवट नं0–12/2, 12/4 के उत्तराधिकारीगण के नाम से संयुक्त खाता बनाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीयों के तरफ से कहा गया कि निम्न न्यायालयों द्वारा सक्षम व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुरूप खाता में इन्द्राज का आदेश दिया

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

गया है। अतः राजस्व न्यायालय द्वारा पुनः उसी बिन्दु पर विचार किया जाना समुचित नहीं है।

अपीलार्थी लगातार इस वाद में अनुपस्थित रहे, जबकि विपक्षी नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। दिनांक 06.12.2021 को अंतिम मौका दिये जाने के पश्चात् अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया तथा यह कहा गया कि उल्लेखित टायटल सूट के आदेश के विरूद्ध टायटल अपील दायर की गयी थी, उन्हें उक्त अपील में पारित आदेश को प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नही किया गया। अन्ततः उभय पक्षों को लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया, जिसमें आवेदकों के तरफ से लिखित बहस दायर की गयी।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा टायटलसूट संख्या–90/131/1974–75 में पारित आदेश के आधार पर खतियान में इन्द्राज का निर्णय संसूचित किया गया है। उक्त वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा कंडिका 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि लक्ष्मण मुण्डा, कुंजल तथा चुरटू मुण्डा के भाई नहीं है, इस कारण उन्हें/उनके वंशजों को प्रश्नगत् भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। आवेदकगण लक्ष्मण मुण्डा के ही वंशज है जबकि विपक्षीगण कुंजल मुण्डा के वंशज है। इस वाद में मुण्डारी परम्परा के अनुसार भूमि के बंटवारे का विषय सन्निहित है। सक्षम व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित होने के पश्चात् आवेदक पुनः प्रश्नगत् भूमि पर अपना अधिकार एवं सर्वे इन्द्राज कराना चाहते है किन्तु इस विषय पर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। उनके द्वारा टायटल अपील का उल्लेख किया गया किन्तु ऐसे किसी अपील का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा टायटल सूट में पारित आदेश के अनुसार सर्वे इन्द्राज किये गये हैं अतः पुनः उनमें संशोधन किये जाने का कोई आधार नहीं है। मुण्डारी परम्परा के अनुसार वंशावली निर्धारित करना इस

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	न्यायालय की क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः यह अपील आवेदन खारीज किया जाता है आवेदक समक्ष व्यवहार न्यायालय से अपने स्वत्व का निर्धारण करा सकते है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त 6/11/22 आयुक्त। 6/11/22	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 12:14:47 +05:30
Location: 10.93.72.187